न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 09/2024
3. उनवान : राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री नानूदास, जाति स्वामी निवासी गणेशदास जी की ढाणी, महेशवास, हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2 मुकेश स्वामी पुत्र स्व. श्री नानूदास, जाति स्वामी, निवासी गणेशदास जी की ढाणी, महेशवास, हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
3 संगीता स्वामी पुत्री स्व. श्री नानूदास, जाति स्वामी निवासी गणेशदास जी की ढाणी, महेशवास, हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 14.03.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री के. के. पारीक अपीलांट की ओर से।
   ब) पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री नितेश सैनी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी भूमि खसरा नंबर 783 रकबा 1.0622 हैक्टेयर वाके ग्राम महेशवास, पटवार हल्का हिरनोदा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में नानूदास चेला गुल्लादास का 19/21 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था, जिसकी मृत्यु दिनांक 07.02.2021 को हो गयी थी एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उनके विरासत का नामान्तरकरण हेतु अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार फुलेरा के समक्ष पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी व गिरदावर ने जांच कर, तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने दिनांक 23.11.2021 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 1624 खरिज कर दिया। नामान्तरकरण संख्या 1624 दिनांक 23.11.2021 विधि विरुद्ध तरीके से व कानून के प्रावधानों के विपरीत जाकर खोला गया है। हल्का पटवारी व गिरदावर ने अपनी जांच में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही किसी अन्य वारिसान का कोई हवाला दिया है, के बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया गया। दादू सम्प्रदाय की प्रथा के अनुसार चेला ना होने की स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण खोला जाता है। हस्तगत प्रकरण में नानूदास जो कि गृहस्थ हो गये थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को अपना चेला नियुक्त नहीं किया था। ऐसी स्थिति में उसके विधिक वारिसान के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण दादू सम्प्रदाय की प्रथा अनुसार स्वीकृत किया जाना चाहिये था। दादू सम्प्रदाय की प्रथा के अनुसार चेला ना होने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों/वारिसान के पक्ष में पूर्व में भी तहसीलदार, फुलेरा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किए गये है तथा स्व० नानूदास के एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 है, के बावजूद भी तहसीलदार फुलेरा ने नामान्तरकरण पर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में जो टिप्पणी अंकित की है, वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर की है। माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व पीडित पक्षकार को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है. परन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को बिना सुने ही नामान्तरकरण निरस्त फरमा दिया है। नानूदास के कोई चेला ना होने की स्थिति में उसके विधिक विधिक वारिसान के पक्ष में कानूनन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था, जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में नामान्तरकरण खारिज करने में कानूनी भूल की है। नामान्तरकरण संख्या 1624, दिनांक 23.11.2021 की जानकारी अपीलांट को पूर्व में कभी नहीं रही है तथा अपीलांट द्वारा के. सी. सी. बनवानें हेतु उक्त आराजी भूमि की जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त की जानकारी हुई।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 1624 दिनांक 23.11.2021 को निरस्त फरमाते हुये रेस्पोडेंट संख्या 1 को निर्देशित फरमाया जावे कि आराजी भूमि खसरा नंबर 783 रकबा 1.0622 हैक्टेयर वाके ग्राम महेशवास, पटवार हल्का हिरनोदा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हिरनोद, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, जिसमें नानूदास चेला गुल्लादास का 19/21 हिस्सा है, का नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पक्ष तस्दीक फरमावे।

अपीलाधीन अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से सरकार पैरोकार पेश हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता नितेश सैनी ने वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी भूमि खसरा नंबर 783 रकबा 1.0622 हैक्टेयर वाके ग्राम महेशवास में नानूदास चेला गुल्लादास का 19/21 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था, जिसकी मृत्यु दिनांक 07.02.2021 को हो गयी थी एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उनके विरासत का नामान्तरकरण हेतु अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फुलेरा ने दिनांक 23.11.2021 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 1624 खरिज कर दिया। दादू सम्प्रदाय की प्रथा के अनुसार चेला ना होने की स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण खोला जाता है। नानूदास जो कि गृहस्थ हो गये थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को अपना चेला नियुक्त नहीं किया था। दादू सम्प्रदाय की प्रथा के अनुसार चेला ना होने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों/वारिसान के पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिए था, जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नही थी। तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को बिना सुने ही नामान्तरकरण निरस्त फरमा दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार फुलेरा द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 1624 दिनांक 23.11.2021 को निरस्त फरमाया जावे एवं आराजी भूमि खसरा नंबर 783 रकबा 1.0622 हैक्टेयर वाके ग्राम महेशवास में नानूदास चेला गुल्लादास का 19/21 हिस्सा है, का नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पक्ष तस्दीक फरमावे।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर